20.3.25 पत्रावली पेश हुई निर्णय प्रकरण से निस्तारित जाकर रजिस्टर न्यायालय में इन्द्राज किया निर्णय प्रति प्रकरण से तहसीलदार अलवर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाकर पत्रावली नक्शा से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

20.03.25

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं. 03/17

तारीख दायर 23.04.2024

किस्म 136 LR Act

तारीख निर्णय 20.03.2025

उनवान

1–मिंकी शर्मा (minky sharma) पुत्री श्री महेश चन्द शर्मा निवासी निवासी ग्राम कस्बा डेहरा तहसील व जिला अलवर राज0

––––प्रार्थी

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील व जिला अलवर राज०

––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा 103 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 125 रक़बा 0.4900 हैक्टेयर, 129 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, 533 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 547 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 548 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, 549 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल खसरा 7 रकबा 1.8200 हैक्टेयर खाता संख्या नया 193 वाके ग्राम कस्बाडेहरा तहसील व जिला अलवर राज में स्थित है। जिसमें मिन प्रार्थीया 1/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीया का वास्तविक व रिकार्डेड नाम मिंकी शर्मा (MINKY SHARMA) है जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रार्थीया का कक्षा 10 वी प्रमाण पत्र, अंकतालिका सहित सत्र 2016, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत कस्बा डेहरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड से स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मिन प्रार्थीया के पिता श्री महेश चन्द शर्मा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी तथा प्रार्थीया के पिता का देहान्त प्रार्थीया की नाबालिग अवस्था में हो गया था जिसका विरासत इंतकाल मिन प्रार्थीया व अन्य वारिसान के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया था। उक्त इंतकाल में मिन प्रार्थीया का नाम मिंकी शर्मा (MINKY SHARMA) के स्थान पर पिंकी शर्मा (PINKY SHARMA) अंकित कर दिया। जबकि मिन प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक व रिकार्डेड नाम मिंकी शर्मा (MINKY SHARMA) है।

उपरोक्त प्रकार प्रार्थीया का नाम मिंकी शर्मा (MINKY SHARMA) के स्थान पर पिंकी शर्मा (PINKY SHARMA) किया गया है वह खिलाफ रिकार्ड है जो काबिल दुरुस्ती है उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

त इन्द्राज से मिन प्रार्थी के हकूक जायल होने का खतरा है इसलिए हाल राजस्व रिकार्ड अंकित नाम पिंकी शर्मा के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम मिंकी शर्मा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है कि जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है उक्त नाम दुरुस्त करने के लिए मिन प्रार्थी ने सम्बन्धित राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अप्रार्थी से कई बार निवेदन भी किया लेकिन उन्होने कोई दुरुस्ती नही की इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है राजस्व रिकार्ड में दर्ज अन्य सहखातेदारान के हक हकूको मे कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्हे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड बाबत आराजी खसरा 103 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 125 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, 129 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, 533 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 547 रकबा 0. 0100 हैक्टेयर, 548 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, 549 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल खसरा 7 रकबा 1.8200 हैक्टेयर खाता संख्या नया 193 वाके ग्राम कस्बा डेहरा तहसील व जिला अलवर राज० जिसमे प्रार्थीया का नाम मिंकी शर्मा के स्थान पर पिंकी शर्मा दर्ज व स्वीकार किया गया है. को दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थीया का सही नाम मिंकी शर्मा फरमाये जाने की कृपा की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार अलवर कमॉक भू0अ0/2024/6143 दिनॉक 4–9–20241. मुताबिक हाल जमाबंदी आनलाईन सेग्रीगेशन के खाता संख्या 193 में खसरा नम्बर 103/0.02, 125/0.49, 129/0.44, 533/0.25, 547/0.01, 548/0.29, 549/0.32 किता 7 रकबा 1.82 है. में काश्तकार (1) नाबालिगान अंतिमा पुत्री महेशचन्द संरक्षक सरपरस्त मामा अशोककुमार पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण सा. मालाखेड़ा खातेदार (2) काश्तकार नाबालिगान पिंकी पुत्री महेशचन्द संरक्षक सरपरस्त मामा अशोककुमार पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण सा. मालाखेडा खातेदार (3) पिकी शर्मा पत्नि भूदेवशर्मा हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार (4) राकेशकुमार यादव पुत्र मोहरसिंह हिस्सा 1/14 जाति यादव सा. लोधाडी अलवर खातेदार (5) विवेक यादव पुत्र राजेन्द्रप्रसाद यादव हिस्सा 37/70 जाति यादव सा. प्लांट न.64 वर्धमान नगर बी. अजमेर रोड जयपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

जर्ये नामान्तकरण संख्या 232 फैसल दिनांक 18.01.2007 किस्म विरासत् के आराजी खसरा नम्बर 533/0.25, 549/0.32, 103/0.02, 125/0.49, 129/0.44, 547/0.01, 548/0.29 वाके ग्राम कस्बाडहरा में काश्तकार गोविन्दराम पुत्र मक्खन कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार की विरासत से कलावती पत्नि गोविन्दराम प्रेमलता, राजबाला, संजू पुत्रीयान गोविन्दराम हि.4/5 मंजू पत्नी महेश बलराम पुत्र महेश पिंकी अंतिमा पुत्रीयान महेश नाबालिगान बसरपरस्ती माता खुद मंजू हि. 1/5 कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज नामान्तकरण ग्राम पंचायत कस्बाडहरा में पेश हुआ खातेदार की पुत्रवधू ने मृतक गोविन्दप्रसाद की दिनांक 17.09.2005 को की गई वसीयत पेश की अतः नामान्तकरण वसीयत के आधार पर बलराम पुत्र महेशचंद नाबालिग व सरपरस्ती माता मंजूदेवी के नाम स्वीकार किया गया

जर्ये प्रकरण संख्या 23/2012 न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अलवर के (रिमाण्ड प्रकरण नामा संख्या 232 ग्राम कस्बाडहरा) निर्णय दिनांक 04.10.2012 के नामान्तकरण संख्या 423

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

...ल दिनांक 05.11.2012 खसरा नम्बर 103/0.02, 125/0.49, 129/0.44, 533/0.25, ...7/0.01, 548/0.29, 549/0.32 किता 7 रकबा 1.82 है. में काश्तकार बलराम पुत्र ...हेशचन्द नाबा सरपरस्ती माता मंजूदेवी खुद कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के स्थान पर कु. पिंकी. कु. अतिमा पुत्रीया स्व. महेशचन्द जाति शर्मा (नाबालिगान) सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ज है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज कक्षा 10 वी प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित सत्र 2016. मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के प्रार्थिया द्वारा वाके ग्राम कस्बा डहरा तहसील अलवर के हाल खसरा नम्बर 103/0.02, 125/0.49, 129/0.44, 533/0.25, 547/0.01, 548/0.29, 549/0.32 किता 7 रकबा 1.82 है. में दर्ज काश्तकार नाबालिगान पिंकी पुत्री महेशचन्द संरक्षक सरपरस्त मामा अशोककुमार पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण सा. मालाखेड़ा के स्थान पर दस्तावेजानुसार पिंकी के स्थान पर नाबालिगान मिंकी पुत्री महेशचन्द संरक्षक सरपरस्त मामा अशोककुमार पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण सा. मालाखेडा दुरुस्त कराना चाहती है।

मुताबिक नायब तहसीलदार कस्बा डहरा तथा मौका पर्चा पटवार हल्का कस्बाडहरा संलग्न के हाल खसरा नम्बर 103/0.02, 125/0.49, 129/0.44, 533/0.25, 547/0.01, 548/0.29, 549/0.32 किला 7 रकबा 1.82 है. में दर्ज काश्तकार काश्तकार नाबालिगान पिंकी पुत्री महेशचन्द संरक्षक सरपरस्त मामा अशोककुमार पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण सा. मालाखेडा खातेदार व प्रार्थी मिंकी शर्मा पुत्री महेशचन्द शर्मा निवासी ग्राम कस्बाडहरा तहसील व जिला अलवर एक ही व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र अनुसार मेरे जमाबंदी रिकार्ड में मेरा नाम पिंकी शर्मा दर्ज है जबकी मेरे अन्य समस्त दस्तावेजो में मेरा नाम मिंकी शर्मा दर्ज है। जो कि दोनो नाम मेरे ही है और मुझको इन दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है

अतः मुताबिक जॉच रिपोर्ट नायब तहसीलदार कस्बाड़हरा व मोका पर्चा पटवार हल्का कस्बाडहरा, संरपच कस्बाडहरा की जांच रिर्पोट, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो कक्षा 10 वी प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित सत्र 2016, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के आधार पर पिंकी पुत्री महेशचन्द नाबालिग के स्थान पर मिंकी शर्मा पुत्री महेशचन्द किया जाने की अनुशंषा की जाती है सकारात्मक निराकरण किया जाकर जॉच रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्धिकरण के लिये उक्त

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

...धन के सम्बन्ध मे वांछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार ...र की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है रिपोर्ट/रिकार्ड अनुसार मुताबिक वाके ग्राम ...खाडहरा तहसील अलवर मे खसरा नम्बर 103/0.02, 125/0.49, 129/0.44, 533/0.25, ...47/0.01, 548/0.29, 549/0.32 किला 7 रकबा 1.82 है मे अंकित खातेदार **पिंकी के स्थान पर मिंकी** राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 20-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर